कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय,मैनपुरी

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए जनपद न्यायालय, मैनपुरी की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों , फोटोस्टेट, एवं साइकिल स्टैण्ड आदि की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 24.03.2020 (कमांक–1 लगायत 4 के लिए) एवं 25.03.2020 को (कमांक–5 लगायत 8 के लिए) अपरान्ह 2.00 बजे से जनपद न्यायालय, मैनपुरी के नजारत कार्यालय के बाहर में सम्पन्न किया जायेगा।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी) के साथ उपस्थित हो।

नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण

1.	ठेका केन्टीन	01
2.	ठेका पान सुपारी सिगरेट	02
3.	ठेका दो पहिया वाहन	02
4.	ठेका फल,जूसवेल, सिकंजी, फलों का जूस	01
5.	उबला भुनाचना, मूँगफली, भुना आलू एवं भुट्टा	01
6.	ठेका फोटो स्टेट	01
7.	ठेका फोटोग्राफी	01
8.	ठेका मंजन, चूर्ण एवं तेल	02

नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है :–

1. यह ठेका दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक के लिए वैध होगी।

2. जिस ठेकदार के यहॉ ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर) की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

4. जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे ठेके की 40प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि के 20–20 प्रतिशत की तीन त्रैमासिक किश्तों (प्रथम किश्त जून,2020, द्वितीय किश्त सितम्बर,2020 तथा तृतीय किश्त दिसम्बर,2020 तक)में जमा करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा और बकाया धनराशि भू राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

5. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी

और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

6. नीलामी में सबसे ऊँची बोली लगाने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं.24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली को निरस्त कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें।

7. जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं.31/एस दिनांकित 16.03.1988 मे दी गयी शर्तो के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रू.100.00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8. ठेकेदार को अपने दुकान के आस पास सफाई स्वंय करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय , इलाहाबाद के परिपत्र सं.139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहॉ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9. माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वंय अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेगें।

10. जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी,उसी में दुकान करना होगा।

11. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें।

<u>दिनांकः   ,मार्च,2020</u>

07-3-2020

(प्रदीप कुमार–V)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
मैनपुरी